कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– /FP/UK/ROAD/155585/2022 देहरादूनःदिनांकः 10 जनवरी, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद–बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–1802/12–1(2) दिनांक 29–12–2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव को भलीभांति बाइण्डिंग कर प्रेषित किया जाय।
2. प्रस्ताव में विषयसूची अंकित नहीं की गई है, विषयसूची पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये प्रस्ताव के प्रारम्भ में संलग्न करने का कष्ट करें।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करने का कष्ट करें।
4. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2 में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 2.23 स्थलीय निरीक्षण आख्या (SIR) में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
6. प्रस्तावित परियोजना में 20 बांज वृक्षों का पातन निहित है। अतः बांज वृक्षों के पातन हेतु सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
9. प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र एवं Kml file को सी0डी0 में 3 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं अथवा जो अन्य बिन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं, उन कमियों/सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या 1653 /FP/UK/ROAD/155585/2022 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि :–प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रतिलिपि :–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट, जनपद–बागेश्वर को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव सभी तीन प्रतियों में इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

0/c